

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 10.2.2012

क्रमांक F 44-5/2012/ 20-2 : राज्य शासन एतद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 20 के साथ पठित निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 34 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, निम्नानुसार राज्य सलाहाकार परिषद का गठन करती है:-

अध्यक्ष-

मंत्री, स्कूल शिक्षा, म.प्र. शासन

सह-अध्यक्ष-

मंत्री, आदिम जाति कल्याण, म.प्र. शासन

पदेन सदस्य-

- 1 सचिव, स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन
- 2 सचिव, आदिम जाति कल्याण म.प्र. शासन

नामित सदस्य-


- 1 प्रो. मुलायम सिंह ठाकुर, सेवानिवृत्त प्राध्यापक
सी- 14/त्रिषि नगर, उज्जैन म.प्र.
मो.नं.-9827093707
- 2 डॉ मनोहर भण्डारी, सहायक प्राध्यापक
नेताजी सुभाषचंद बोस आयुर्विज्ञान महाविद्यालय,
जबलपुर म.प्र. मो. नं. 9425032324
- 3 श्री विष्णुकांत ठाकुर, सचिव,
विवेकानंद शिक्षा समिति, रांडी जबलपुर म.प्र.
मो.नं. 9425162819
- 4 श्री राम भवसार, पूर्व प्राचार्य
विद्या भारती, जय विलास परिसर,
जयेंद्रगंज, ग्वालियर म.प्र.
मो.नं. 9926418800
- 5 ज्योति विजय पटेल,
साइलर्स किडर गार्डन बृजधाम, द्वारकापुरी बुरहानपुर म.प्र.
मो.नं. 9826285558 , 07325258445

- 6 श्रीमति मालती मिश्रा, आचार्या
सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वतीपुरम रीवा म.प्र.
दूरभाष 07662-254611, 241802, 256811
- 7 श्री हुकुमचंद भुवन्ता, पूर्व प्राचार्य, शिशुवाटिका प्रमुख
विद्याभारती मध्यक्षेत्र, सी-13 शिवार्जी नगर, भोपाल म.प्र.
मो.नं. 9424027701
- 8 श्री राकेश, नामदेव, प्रधानाचार्य
सरस्वती शिशु मंदिर आधारताल, जबलपुर म.प्र.
मो.नं. 9926725599
- 9 श्री भरत झंवर, चार्टर अकाउण्टेंट
सचिव, केशवधाम, खण्डवा
मधुवन 8, रागगंज खण्डवा म.प्र.
मो.नं. 9827280190
- 10 श्रीमती वीणा तिवारी, सेवा निवृत्त प्रध्यापक (मनोविज्ञान)
मानकुंदर बाई महाविद्यालय जबलपुर
प्रेमनगर, रांगल बेटरी के पीछे, नागपुर रोड
जबलपुर म.प्र.
मो.नं. 9907265660
- 11 डॉ. राजीव मुजुमदार, लखेरवाडी
पांडूमल चौराहा, जिला बुरहानपुर म.प्र.

पदेन सदस्य सचिव-

- आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल, म.प्र.
- 2 राज्य सलाहाकार परिषद का कार्य निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का उद्देकार
अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन पर राज्य सरकार को परामर्श देना हं-
- 3 परिषद के नामित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की
होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(बाबूलाल जैसवार)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

